संख्या- 1/2017/1251/53-2-17-10(बजट)/2017

प्रेषक,

राज कुमार श्रीवास्तव,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

दुग्ध आयुक्त,
दुग्धशाला विकास विभाग,
उ0प्र0, जवाहर भवन, लखनऊ।

दुग्ध विकास अनुभाग-2 लखनऊः दिनांकः 24 अगस्त, 2017

विषय-वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-16 के अन्तर्गत राजस्व लेखा पक्ष में निर्गत वित्तीय स्वीकृति में संशोधन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त नियन्त्रक, दुग्धशाला विकास, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या-483/ वित्त सम्भाग-3/ बजट/2017-18, दिनांक 23.08.2017 के संदर्भ में अवगत कराना है कि शासनादेश संख्या-9/1127/53-2-17-10(बजट)/17, दिनांक 21.08.2017 द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-16 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (दुग्धशाला विभाग) के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2404-डेरी विकास-001-निदेशन तथा प्रशासन-03-सहकारी दुग्ध सप्लाई योजनायें में कुल प्राविधानित धनराशि रू0 2681.77 लाख (रू0 छब्बीस करोड़ इक्यासी लाख सतहत्तर हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी थी। वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-8/2017/बी-1-1190/दस-2017-231/2017, दिनांक-03 अगस्त, 2017 के प्रस्तर-2(2) में यह प्राविधान है कि ''वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय व्ययक में आयोजनागत एवं आयोजनेत्तर का वर्गीकरण समाप्त कर दिया गया है। अतः वित्तीय वर्ष 2017-18 में जारी की जाने वाली वित्तीय स्वीकृतियों में आयोजनागत/आयोजनेत्तर का उल्लेख न किया जाय।'' उपर्युक्त शासनादेश दिनांक-21.08.2017 द्वारा निर्गत वित्तीय स्वीकृति में त्रुटिवश ''आयोजनेत्तर'' शब्द अंकित हो गया है। इसी प्रकार वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के उक्त कार्यालय-ज्ञाप दिनांक-03 अगस्त, 2017 के प्रस्तर-2(9) में यह प्राविधान है कि ''मानक मद '14-मोटर गाडियों का क्रय' के अन्तर्गत बजट प्रावधान से सम्बन्धित वित्तीय स्वीकृतियाँ वित्त विभाग की सहमति से जारी की जायेंगी।'' उपर्युक्त शासनादेश दिनांक-21.08.2017 में त्रुटिवश मानक मद '14-मोटर गाडियों का क्रय' में प्राविधानित धनराशि रू0 28.00 लाख को सम्मिलित करते हुए वित्तीय स्वीकृति निर्गत हो गयी है।

2- उपर्युक्त के दृष्टिगत मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-9/1127/53-2-17-10(बजट)/17, दिनांक 21.08.2017 द्वारा निर्गत वित्तीय स्वीकृति में जहाँ-जहाँ ''आयोजनेत्तर'' शब्द का उल्लेख किया गया है, उसे न पढा जाय।

3- उपर्युक्त के दृष्टिगत मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-9/1127/53-2-17-10(बजट)/17, दिनांक 21.08.2017 द्वारा रू0 2681.77 लाख (रू0 छब्बीस करोड़ इक्यासी लाख सतहत्तर हजार मात्र) की निर्गत वित्तीय स्वीकृति में से मानक मद '14-मोटर गाडियों का क्रय' में प्राविधानित धनराशि रू0 28.00 लाख को घटाते/हटाते हुए वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-16 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2404-डेरी विकास-001-निदेशन तथा प्रशासन-03-सहकारी दुग्ध सप्लाई योजनायें में कुल प्राविधानित धनराशि रू0 2681.77 लाख (रू0 छब्बीस करोड़ इक्यासी लाख सतहत्तर हजार मात्र) के सापेक्ष रू0 2653.77 लाख (रू0 छब्बीस करोड़ तिरपन लाख सतहत्तर हजार मात्र) की धनराशि के व्यय हेतु निम्नलिखित मदों में उनके सम्मुख अंकित धनराशि के अनुसार आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः-

(धनराशि लाख रूपये में)

मुख्य शीर्षक मानक मद/कोड	**वर्ष 2017-2018 के आय-व्ययक प्राविधान**	**वर्ष 2017-2018 में स्वीकृति**
01-वेतन	2115.56	2115.56
03-मंहगाई भत्ता	126.93	126.93
04-यात्रा व्यय	10.00	10.00
05-स्थानान्तरण यात्रा व्यय	6.00	6.00

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

06-अन्य भत्ते	120.00	120.00
08-कार्यालय व्यय	5.00	5.00
09-विद्युत देय	4.00	4.00
10-जलकर/जल प्रभार	1.00	1.00
11-लेखन सामग्री और फार्मो की छपाई	1.50	1.50
12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	1.00	1.00
13-टेलीफोन पर व्यय	2.00	2.00
15-गाडियों के अनुरक्षण एवं पेट्रोल आदि की खरीद	8.00	8.00
16-व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	72.00	72.00
17-किराया, उप शुल्क और कर स्वामित्व	10.00	10.00
42-अन्य व्यय	0.10	0.10
44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा व्यय एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	0.50	0.50
45-अवकाश यात्रा व्यय	0.50	0.50
46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	1.50	1.50
47-कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	2.50	2.50
49-चिकित्सा व्यय	21.00	21.00
51-वर्दी व्यय	1.00	1.00
52-पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राजकीय)	143.68	143.68
योग-2404 आयोजनेत्तर	**2653.77**	**2653.77**

(रू0 छब्बीस करोड़ तिरपन लाख सतहत्तर हजार मात्र)

4- उर्पयुक्त स्वीकृति के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-16 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (दुग्धशाला विभाग) के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-**'2404-डेरी विकास-001-निदेशन तथा प्रशासन-03-सहकारी दुग्ध सप्लाई योजनार्ये''** के अन्तर्गत सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामे डाला जायेगा।

5- उपर्युक्त संशोधन के फलस्वरूप शासनादेश संख्या-9/1127/53-2-17-10(बजट)/17, दिनांक 21.08.2017 इस सीमा तक संशोधित समझा जाय तथा उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 21.08.2017 में उल्लिखित शेष शर्तें यथावत रहेंगी।

भवदीय,

(राज कुमार श्रीवास्तव)
विशेष सचिव।

संख्या-1 /2017/1251(1)/53-2-2017, तददिनांक।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित कोसूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- प्रधानमहालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3- वित्त नियन्त्रक, दुग्धशाला विकास विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
4- मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2 उ0प्र0 शासन।
6- वित्त(व्यय नियंत्रण) अनुभाग-2 उ0प्र0 शासन।
7- वेब मास्टर, दुग्धशाला विकास विभाग, जवाहर भवन, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि इसे विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित करें।
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(कृपा शंकर यादव)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in